106

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–53/16/2012/19/यो 6251 भोपाल दिनांक 26/12/2014

आदेश

राज्य शासन के सभी कार्य विभाग एवं कार्य विभाग की तरह कार्य करने वाले विभागों द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं के प्रकाशन की सूचना की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 04.08.2014 जारी किया गया है।

2/ समग्र विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए निविदा प्रकाशन की सूचनाओं के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार व्यवस्था लागू करता है:–

प्रकाशन की श्रेणी	निविदा लागत	निविदा प्रकाशन हेतु दैनिक समाचार पत्रों का विवरण
1	0 से 50 लाख रूपये तक	1. जहाँ कार्य हो उस जिले में प्रकाशित–प्रसारित एक समाचार पत्र। 2. संभाग स्तरीय एक समाचार–पत्र 3. क्षेत्र में प्रचलित राज्य स्तरीय एक समाचार–पत्र
2.	50 लाख से 2 करोड़ रूपये तक	1. जहाँ कार्य हो उस जिले में प्रकाशित–प्रसारित एक समाचार पत्र। 2. संभाग स्तर का एक समाचार–पत्र 3. क्षेत्र में प्रचलित राज्य स्तरीय दो समाचार–पत्रों
3.	2 करोड से 10 करोड रूपये तक	1. जहाँ कार्य हो उस जिले में प्रकाशित–प्रसारित एक समाचार पत्र। 2. राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रत्येक के दो–दो संस्करण 3. प्रदेश से लगे वाणिज्यक केन्द्रों से प्रकाशित एक समाचार पत्र
4	10 करोड़ रूपये से ऊपर	1. जहाँ कार्य हो उस जिले में प्रकाशित–प्रसारित एक समाचार पत्र। 2. राज्य स्तरीय दो समाचार–पत्रों में प्रत्येक के दो–दो संस्करण 3. प्रदेश के बाहर का एक क्षेत्रीय समाचार–पत्र 4. दो राष्ट्रीय समाचार–पत्रों के न्यूनतम दो–दो संस्करण

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि–

1. जिले में उपयुक्त समाचार पत्र न होने पर संभाग का समाचार पत्र लिया जा

सकेगा।

PATIL ORDER-UP SACHIAS

2. श्रेणी तीन के बिन्दु (3) में विभाग की आवश्यकता के अनुसार प्रदेश से लगे वाणिज्यिक केन्द्रों के अलावा अन्य स्थान (जैसे–हैदराबाद, बैंगलौर, कोलकता आदि) के एक समाचार पत्र में भी अतिरिक्त विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदाओं के प्रकाशन की सूचना के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए संबंधित सूचना में निहित निविदाओं में से अधिकतम लागत की निविदा के आधार पर उक्त तालिका में दर्शाई श्रेणी लागू मानी जायेगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Prakash 24/12/2014
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–53/16/2012/19/यो 6241 भोपाल दिनांक 26/12/2014

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
3. महालेखाकार ग्वालियर/भोपाल (मध्यप्रदेश)।
4. उपाध्यक्ष एवं सदस्य पुर्नवास नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदाघाटी विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख संचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
10. सचिव, म.प्र. शासन, आवास एव पर्यावरण विभाग, भोपाल।
11. सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. शासन. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
13. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
14. अपर सचिव, म.प्र. शासन जन सम्पर्क विभाग।
15. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल।
17. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता), अरेरा हिल्स, भोपाल।
18. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
19. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई भोपाल।
20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
21. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।

Prakash 24/12/2014
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग